

(201)

153

211/201/09

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 1,19,51,218.00 रुपये।

स्टाम्प : 8,36,700.00 रुपये।

प. 111/31-25

हम कि देवेन्द्र व मुकेश पुत्रगण श्री खेमचंद निवासीगण ग्राम कवैडा बारशाबार परमना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (फरीक अवल, विक्रेता)।

एवम

गैसर्स अप्पल बड़दा हाईटेक इनलपर्स प्रा० लि० 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक खेयग/क्रेता)।

देवेन्द्र मुकेश

Setraij



Ara Singh
Court 112



X



119.51.20/- 12000/-

त 25/ बंग 100 25/- शब्द लगभग 600

दोपहर

श्री विमल चयन

रासी चयन वा 11/10/11

कार्यालय तब रजिस्ट्रार वारा जिला

गौतम बुद्ध नगर में आज दिनांक 11/10/11

पण्डित प्रसाद व. 2 बजे प्रस्तुत किया।

11
५ व ३

11/10/11

सं. 119.51.20/- 12000/-

11/10/11

दोपहर 25/ बंग 100 25/- शब्द लगभग 600
रासी चयन वा 11/10/11
कार्यालय तब रजिस्ट्रार वारा जिला
गौतम बुद्ध नगर में आज दिनांक 11/10/11
पण्डित प्रसाद व. 2 बजे प्रस्तुत किया।

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम कयैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०), कृषि भूमि खाता नं० 183 के खसरा नं० 92 रकबा 0.6540 हैक्टे० का पूर्ण भाग व खसरा नं० 231 रकबा 0.3460 है० में से 0.1790 है० इस प्रकार कुल रकबा 0.8330 है० प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतौनी 1409-1414 फसली जिसका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वाभी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बैनामा हाजा हम विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 8000000/- रुपये प्रति हैक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200 रु० प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 1,19,51,218/- रुपये (एक करोड़ उन्नीस लाख इक्यावन हजार दो सौ अठारह रुपये मात्र) हम तय है और सरकारी स्टाम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

(3) विक्रेतागण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, मूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय हम स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेतागण ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

५०५३

मुकेश

पट्टे

१५ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००
 १ श्री महाराष्ट्र पेशा जिरी
 २ श्री महाराष्ट्र पेशा जिरी
 ३ श्री महाराष्ट्र पेशा जिरी
 ४ श्री महाराष्ट्र पेशा जिरी
 ५ श्री महाराष्ट्र पेशा जिरी
 ६ श्री महाराष्ट्र पेशा जिरी
 ७ श्री महाराष्ट्र पेशा जिरी
 ८ श्री महाराष्ट्र पेशा जिरी
 ९ श्री महाराष्ट्र पेशा जिरी
 १० श्री महाराष्ट्र पेशा जिरी

महाराष्ट्र
 १०/११/०१

११
 १२

१२
 १३

(3)

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक हम फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कहीं अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबै, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी रूप आदि हम ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ड्यूज है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद-ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय हम न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय हम कोई दोष व त्रुटी नहीं है हर प्रकार के बाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखित भूमि के संबंध हम हम विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक हम कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय हम पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व हम न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य हम इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगे।

(7) हम विक्रेतागण को विक्रय पत्र हम वर्णित उक्त खाता नं० 183 के खसरा नं० 92 रकबा 0.6540 हैक्टे० का पूर्ण भाग व खसरा नं० 231 रकबा 0.3460 है० में से 0.1790 है० इस प्रकार कुल रकबा 0.8330 है० स्थित ग्राम कचैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील व जिला गौतमबुद्ध नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्ता है। हम विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा हमे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः हम विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व घमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, काश्त मराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार

देवेंद्र

मुकेश

पतन



partial



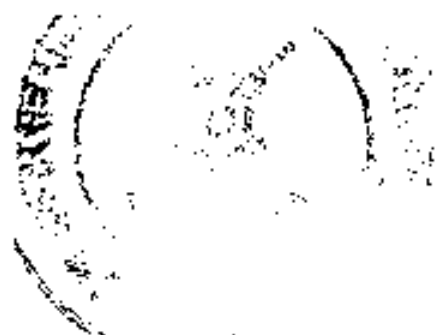
partial



partial



10/01/11



(4)

हम विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख हम विक्रय धनराशी अंकन 1,19,51,218/- रुपये (एक करोड़ उन्नीस लाख इक्कावन हजार दो सौ अठारह रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन 59,75,609-(उनसठ लाख पचहत्तर हजार छ सौ नौ रुपये मात्र) होते हैं के एवज में बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स सम्पल चट्टा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० 33 कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली पैन नंबर AAACU7200M द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को बेच कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी हम विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नहीं रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः गालिक काबिज दाखिल बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग हम लावें।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बावत समस्त कागजात में बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर हम फरीक अव्वल से करा सकते हैं, हम फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि हम निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला ओर निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दायेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके



मुकेश





(5)

वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्यल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्ज खर्च प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसानकी चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर फरीक अव्यल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहों की उपस्थिति हम लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.8330 हेक्टेयर, खाता नं० 183 के खसरा नं० 92, 231 स्थित ग्राम कचैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:-

देवेन्द्र

मुकुश

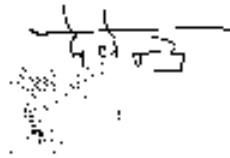
पार्थिव

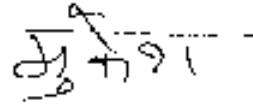


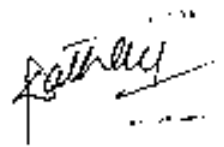


(6)

(15) बैंक ऐक्सिस बैंक लि० गाजियाबाद शाखा गाजियाबाद का बैंक नंबर 3677112 अंकन 59,75,609—(उनसठ लाख पचहत्तर हजार छ सौ नौ रुपये मात्र) व बैंक नंबर 3677112 अंकन 59,75,609—(उनसठ लाख पचहत्तर हजार छ सौ नौ रुपये मात्र) दिनांकित 10.01.11 फरीक अब्दुल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

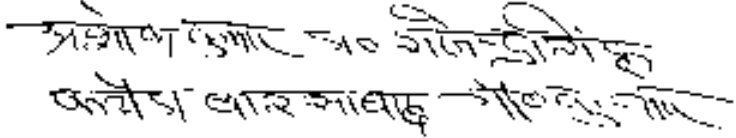


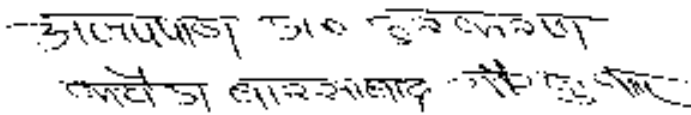




(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अब्दुल (विक्रेता)

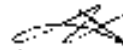
(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक दोथम (क्रेता)

गवाह नं० 1  गरीब लाल आबुदु गरीब लाल

गवाह नं० 2  गरीब लाल आबुदु गरीब लाल

तहरीरी दिनांक: 10-01-2011 गरीब लाल तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद









100

100

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये
रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AA 153073

Stamp duty paid in cash certificate in favour of-M/S UPPAL CHADDHA
HI-TECH DEVELOPERS PVT.LTD.,33,COMMUNITY CENTRE,NEW
FRIENDS COLONY, NEW DELHI

In pursuance of the order of the collector NO...memo...dated.10.01.11
passed under Section 10-A of the stamp act.It is certified that an amount
of Rs.8,36,800-00(Inwords Rs.Eight lacs thirty six thousand eight hundred only)
has been paid in cash as stamp duty in respect of this instrument in the
State bank of India/Treasury/Sub treasury ...NOIDA

By Challan No...NI61759 . dated.10.01.11

A copy of which is annexed herewith.

10/1/11



Dated

Senior Treasury Officer

Gautam Budh Nagar

2/1/11

नं. 225 क. 7.13
 किंथा गया।
 31 DEC 2010
 शेकडिया
 * कोषागार/गौतम बुद्ध नगर *

M/s Uppal Chadha Hi-Tech

Developers Pvt Ltd.

N. Delhi

आज तिथि 10/11/11 का कोटा 2109
 ति पुस्तक संख्या 203 खण्ड संख्या 453
 पृष्ठ 216 परक्रम संख्या
 र सजिदीकत किया गया।

उप निष्पत्ति
 दादरी

